न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या अपील 99/2019

श्रीमती बत्तो पत्नी स्व0निहाली जाति गूर्जर निवासी बन्ध बारेंठा तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

.....रस्पो0

उपस्थित :–
1– श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट,
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरुद्ध आदेश तहसीलदार बयाना निर्णय दिनांक 30.9.2019

निर्णय **दिनांक 29.10.2020**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना के निर्णय दिनांक 30.9.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार ने अतिक्रमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 3413,3414 रकवा 0.03 है0 गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने, शास्ती आरोपित करने एवं सिविल कारावास से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो एवं तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

.....2

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी से अपीलान्ट का खातेदारी का रकवा लगा हुआ है। पटवारी हल्का ने कभी विवादित आराजी की पैमाईस नहीं की है। मौका पर कोई रास्ता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि ग्रामीण रास्ते पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाने का क्षेत्राधिकार ग्रांम पंचायत का है। तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नही है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अभिभाषक रेस्पो ने जाहिर किया कि तहसीलदार ने सही आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर छप्पर व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट किसी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नहीं है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली में शामिल रिपोर्ट पटवारी एवं खसरा परिवर्तित के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 3413,3414 रकवा 0.03 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर छप्पर व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस विधिवत जारी किये गये है। रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर में अपीलान्ट अतिक्रमी को विवादित आराजी पर पाश्चतवर्ती अतिक्रमी होना अंकित है। तहत न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के बयान लिये गये हैं, हल्का पटवारी ने अपने बयानों में विवादित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2076 में भी छप्पर व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है, तथा अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा सम्वत् 2072 में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे बेदखल किया गया था। इससे यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर आदतन अतिक्रमी है जो पश्चावर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि उसे तहत न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि तहत न्यायालय ने सुनवाई हेतु अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया हैं जो बाद तामील शामिल मिसिल हैं। जहॉ तक प्रश्न विवादित आराजी के आबादी भूमि होने का है इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी आबादी की भूमि साबित होती हो। अपीलान्ट बाबजूद सूचना तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है जो धारा 16 एल आर एक्ट के तहत प्रतिबन्धित भूमियॉ की श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों पर

.....3

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर